कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2020 / 4503 रायपुर, दिनांक – 29.09.2020

/ / अधिसूचना / /

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं **एलेक्स पॉल मेनन** श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, विगत जनवरी 2020 से जून 2020 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ :–

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986–87 = 100)	माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986–87 = 100)
जुलाई 2019	1477	जनवरी 2020	1528
अगस्त 2019	1482	फरवरी 2020	1519
सितम्बर 2019	1491	मार्च 2020	1509
अक्टूबर 2019	1505	अप्रैल 2020	1523
नवम्बर 2019	1519	मई 2020	1528
दिसम्बर 2019	1528	जून 2020	1537
कुल	$\frac{9002}{6}$ =1500.33 (1500)	कुल	$\frac{9144}{6}$ =1524

अतः विगत छः माहों का औसत 1524 घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ–10–4 / 2016 / 16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है।

(एलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2020/**4503** दिनांक 29.09.**2020** के अनुसार जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1524 रहा है। इस प्रकार अगरबत्ती उद्योग में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1285 (2001=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि 239 औसत बिन्दुओं (1524–1285=239 पाईंट) की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 2.99 रूपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता एवं तदनुरूप अगरबत्ती उद्योग के अन्य वर्गों के लिए निर्धारित प्रति बिन्दु दर अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अन्तर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। अतः अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को अनुसूची ''ई'' अनुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है।

(एलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची – ''ई''

क्र0	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें			न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रू0	26.96	पैसे	(रू. 2.99) 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	29.95
	साधारण सुगंधित (सेंटेड)	रू0	27.66	पैसे	(रू. 2.99) 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	30.65
आ.	निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना।					
	बिना सिलोफेन या जिलेटिन के					
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	22.05	पैसे	(रू. 2.39) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	24.44
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	22.76	पैसे	(रू. 2.39) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	25.15
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	22.76	पैसे	(रू. 2.39) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	25.15
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	28.89	पैसे	(रू. 2.99) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	31.88
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	38.79	पैसे	(रू. 3.99) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	42.78
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	44.57	पैसे	(रू. 4.78) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	49.35
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	45.87	पैसे	(रू. 4.78) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	50.65
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	56.41	पैसे	(रू. 5.98) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	62.39
	सिलोफेन या जिलेटिन के					
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	22.76	पैसे	(रू. 2.39) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	25.15
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	28.37	पैसे	(रू. 2.99) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	31.36
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	36.30	पैसे	(रू. 3.99) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300(1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	40.29
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0	37.05	पैसे	(रू. 3.99) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300(1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	41.04

क्र0	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 39.15 पैसे	(रू. 3.99) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	43.14
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 45.87 पैसे	(रू. 4.78) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	50.65
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 54.99 पैसे	(रू. 5.98) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	60.97
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 57.81 पैसे	(रू. 5.98) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	63.79
(इ)	निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना।			
	बिना सिलोफेन या जिलेटिन के			
1.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रू0 18.29 पैसे	(रू. 1.98) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	20.27
2.	12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रू0 18.96 पैसे	(रू. 1.98) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	20.94
3.	23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रू0 22.73 पैसे	(रू. 2.39) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	25.12
4.	50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रू0 23.46 पैसे	(रू. 2.39) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	25.85
5.	100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रू0 28.37 पैसे	(रू. 2..99) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	31.36
6.	200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रू0 30.11 पैसे	(रू. 2.99) 5 पैसा प्रति बिन्दु 600(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	33.10
(ई)	सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :–			
1.	5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रू0 4.22 पैसे	(रू. 0.48) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2500 (0.20 पैसा प्रतिबिन्दु)	4.70
2.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रू0 4.80 पैसे	(रू. 0.53) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2200 (0.22 पैसा प्रतिबिन्दु)	5.33
3.	पुंगली बनाने के कागज प्रति 1000	रू0 7.32 पैसे	(रू. 0.79) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 1500 (0.33 पैसा प्रतिबिन्दु)	8.11

अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।

(एलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (व्ही0डी0ए0) जनवरी 2020 से जून 2020 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 1285 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिये रूपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यनूतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा।

2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नही की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहॉ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहॉ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

(एलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर